ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-119/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी, उत्तराखंड** के माह 02/2018 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अजय त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वीपीएस नेगी, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.01.2021 से 2.02.2021 तक श्री पुष्कर, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खुशीराम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश दइकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 16.02.2018 से 20.02.2018 तक संपादित की गयी जिसमे 01/2017 से 01/2018 तक के अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2018 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी, उत्तराखंड** के क्रियाकलाप अंतर्गत चिकित्सालय के वित्तीय व प्रशासनिक नियंत्रण, चिकित्सीय सेवाएँ एवं एनएचएम से संबन्धित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ साथ चिकत्सा संबंधी अन्य कार्यक्रमों का संचालन, परिक्षेत्र मे आने वाले जनसमान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा से संबन्धित अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना है। भौगोलिक अधिकार क्षेत्र टिहरी जनपद के नरेन्द्रनगर क्षेत्र है।

   (ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2210 (चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य)	502.41	500.91	1.50
2018-19	2210 (चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य)	597.22	549.29	47.93
2019-20	2245,2210 (चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य)	61.61	667.87	-606.26
2020-21 (12/20)	2245,2210 (चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य)	91.43	543.83	-452.40

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (NHM) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2017-18	Mission	Nil	9.51	0.04	9.55	2.30	7.25
	JSY	5.54	5.34	0.22	11.10	8.45	2.65
2018-19	Mission	7.25	29.84	0.37	37.46	18.32	19.13
	JSY	2.65	7.81	0.17	10.63	2.34	8.29
2019-20	Mission	19.13	31.00	0.76	50.89	16.88	34.01
	JSY	8.29	22.63	0.55	31.47	4.98	26.49
2020-21 (12/20)	Mission	34.01	80.49	1.37	115.87	61.21	54.66
	JSY	26.49	5.00	0.57	32.06	0.79	31.27

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार व केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'c' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
4. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमायूं मण्डल, नैनीताल
5. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
6. चिकित्सा अधीक्षक
7. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारी
8. पैरामेडिकल संवर्ग/ मिनिस्टेरियल संवर्ग

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी, उत्तराखंड** के 02/2018 से 12/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 02/2018 & 07/2020 (Treasury head), 10/2019,10/2020,3/2018 & 3/2020 (NHM) एवं 2/2020,2/2018,3/2018 & 8/2018 (CPS) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

एं.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-119/2020-21

भाग-2'ब'

प्रस्तर:01- लागत रु 11.10 लाख के चिकित्सकीय उपकरणों का नियमानुसार रखरखाव नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम-16 के अनुसार क्रय की जाने वाली सामग्री की लागत तथा उसकी प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए, यदि आवश्यक हो तो ऐसी सामग्री के रखरखाव हेतु भी निश्चित अवधि की संविदा सामग्री के आपूर्तिकर्ता से भिन्न सक्षम फर्म के साथ की जाए। अनुरक्षण संविदा की आवश्यकता परिष्कृत एवं मंहगे उपस्कर और मशीनों में होती है। परन्तु यह ध्यान दिया जाए की उपकरणों, मशीनों की वारंटी अवधि में अथवा बढ़ायी गयी अवधि मे जैसा कि संविदा की शर्तो में उपबंधित हो आपूर्तिकर्ता द्वारा निःशुल्क रखरखाव किया जाएगा और भुगतान रखरखाव के उपरान्त ही किया जाए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर मे स्थापित चिकित्सा उपकरणों से संबन्धित अभिलेखों की जांच की गयी। जांच मे नमूनास्वरूप कार्यशील कुछ उपकरणों जिनकी गारंटी/वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी नियमों के परिप्रेक्ष्य में जाँचे गए उपकरणों के विवरण निम्नवत पाये गये-

क्रम सं	उपकरण विवरण	लागत	वारंटी अवधि
1	Numeric 1 KVA UPS System with DC Power Pack-7ah(Transfer to Pathology on 22.1018)	25375	01
2	CRecaardiac/Multipara Monitors(Received on 06.4.19)	71400	02
3	Semi Auto Analyser for Pathology (Issued Pathology lab on 20.9.19 use)	194700	01
4	X-ray Machine 300mA GME 300TF1/MT/MMT	615680	Receiving date 06/9/10
5	X-ray Machine 100mA GME 100R Multi	202800	Yr.2010(Stock Book Page no.220)
	Total	11.10 लाख	

कार्यालय की प्रस्तुत तकनीकी जांच रिपोर्ट से तथ्यों की जानकारी हुयी कि उपरोक्त चिकित्सा उपकरण चिकित्सालय में क्रियाशील है, परन्तु उनकी वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा नियमानुसार वार्षिक मरम्मत संविदा के अन्तर्गत रखरखाव सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा था जिस कारण मंहगे मशीन की दक्षता प्रभावित पायी गयी तथा सेवा बाधित की दशा में त्वरित मरम्मत कार्य के लिए चिकित्सालय में नियोजन का अभाव पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि बजट के अभाव में मशीनों की AMC नहीं हो पाती है अगर समय पर बजट उपलब्ध हो तो मशीनों की AMC कर पायी जा सकती है।

लेखापरीक्षा मे उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, AMC नहीं करने के प्रतिकूल परिणाम के फलस्वरूप मंहगे मशीनों की कार्यशीलता एवं दक्षता में कमी, त्वरित सेवा की अनुपलब्धता तथा मशीनों के रखरखाव पर अनियोजित व्यय विवेकपूर्ण नहीं पाया गया तथा दिशानिर्देशों कि अनदेखी की गयी। अतः, प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर:02- इकाई द्वारा र 8.77 लाख की UNITED FUND **की धनराशि को लगभग 04 वर्षो से अवरुद्ध रखना पाया जाना।**

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -53/वि0वि0/ऑडिट प्रकोष्ठ/2008 दिनाक=06/08/2008 के बिन्दु -07 मे स्पष्ट है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय के ऊपर कड़ा नियंत्रण रखा जाये तथा बजट मे उतने ही धन का प्रावधान किया जाये जितना खर्च किया जा सके। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:- वित्त अनुभाग -03/876/2003-04 दिनाक-30/04/2003 तथा पत्र संख्या-99/XXVII/14/2009 दिनाक -03/09/2009 मे स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विभागो के कार्यो हेतु बैंक मे खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है ,जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य /अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी हो । अत: यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जाये एवं खाते मे अवशेष धनराशि को विभागीय पी0एलoए0 खाते मे स्थानांतरित किया जाये । शासनादेश मे यह भी स्पष्ट किया गया राज्य की अर्थोपाय स्थिति मे संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि समेकित निधि से आहरण तब किया जाये जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो ,के सिद्धांत पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानो ,निकायो ,परियोजनाओ ,परिषदों आदि के अधिकारी सुसंगत लेखा शीर्षकों के अधीन PLA खाता यदि पूर्व मे न खुला हो खुलवाना सुनिश्चित करे । **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ,श्रीदेव सुमन राजकीय सयुक्त चिकित्सालय नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल** द्वारा संचालित UNITED FUND की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा विगत तीन वर्षो से ₹ 8.77 लाख की धनराशि को बिना व्यय किये विभाग द्वारा संचालित बचत खाता संख्या-7445000100026689 पंजाब नेशनल शाखा नरेंद्र नगर मे रख-रखाव/अवरुद्ध करके रखा गया था। आगे जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा उत्तराखंड शासन से ₹ 8.77 लाख की धनराशि को बचत खाते मे रखने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी । एवं न ही विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों/शासन को उक्त धनराशि को वापस/समर्पण करने हेतु अनुमति प्राप्त की गयी थी । विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि- 01/21 तक पी एल ए खाता भी नहीं खोला गया था। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त निधि NRHM योजना से संचालित की जा रही थी ,एवं चिकित्सालय के रख-रखाव एवं आपातकालीन औषधि एवं रसायन की आपूर्ति हेतु एवं कार्यालय के संचालन हेतु CMO के fund से प्राप्त की जाती है। सम्प्रेक्षा द्वारा लगभग 04 वर्षो से उक्त निधि की धनराशि को अवरुद्ध रखना एवं शासन को वापस न होने के कारण शासन द्वारा उक्त निधि की धनराशि का अन्य कल्याण कारी योजनाओ मे व्यय न होने के कारण के बारे मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से इंगित/पूछने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया कि शीघ्र ही विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों/शासन से उक्त धनराशि को वापस/समर्पण करने हेतु अनुमति प्राप्त की जायेगी । विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा मे मान्य नहीं क्योकि उक्त UNITED FUND की धनराशि केन्द्र द्वारा संचालित NRHM योजना से संबन्धित थी तथा चिकित्सालय के रख-रखाव एवं आपातकालीन औषधि एवं

रसायन की आपूर्ति हेतु एवं कार्यालय के संचालन हेतु CMO के fund से प्राप्त की जाती है। अत: उक्त निधि सीधे तौर पर मरीजो के जीवन को बचाने के लिए औषधि आपूर्ति के लिये अत्यंत आवश्यक थी ,परन्तु विभाग द्वारा लगभग 04 वर्षो से उक्त निधि की धनराशि को अवरुद्ध रखना अत्यंत गंभीर मामला है । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर:03- उपकरण कार्यशील न होने के कारण भरे गये रेडियोलाजिस्ट पद की उपयोगिता पूर्ण नहीं पाया जाना।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत पदों तथा पदों के सापेक्ष भरे गये अद्यतन स्थिति की जांच की गयी। नमूना जांच के रूप में भरे गये पदों में से रेडियोलाजिस्ट पद के सापेक्ष 01 चिकित्सक की तैनाती पायी गयी। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार चिकित्सालय में 02 अल्ट्रासाउण्ड मशीन अवस्थित पायी गयी जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नवत थी:-

क्रम सं	मशीन विवरण	लागत	अभ्युक्ति
1	WIPRO GE Model-RT 3200, Purchasing date 31/03/97	रु 700560	पुरानी होने के कारण कार्यशील नहीं।
2	SONOSCAPE A8 S.No.18010521 With two probes	गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून से स्थानांतरण (मई,2020)	Poor Resolution के कारण परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं। उक्त की जगह High Resolution अल्ट्रासाउण्ड मशीन की मांग।

लागत रु 7.00 लाख की अकार्यशील मशीन का निस्तारण चिकित्सालय स्तर से लंबित पाया गया तथा कार्यालय अभिलेखों में अकार्यशील अवधि का दर्ज नहीं किये जाने का प्रकरण पाया गया तथा नयी मशीन की मांग के लिए चिकित्सालय द्वारा विभाग से किया गया पत्राचार स्वास्थ्य सेवा की तत्काल उपलब्धता की दृष्टिगत पर्याप्त नहीं पाया गया। अभिलेख के अनुसार मशीन पुरानी होने के कारण निरन्तर सेवा सुनिश्चित नहीं की जा सकी। चिकित्सालय को मई,2020 में उपलब्ध करायी गयी अल्ट्रासाउण्ड मशीन भी Poor Resolution के कारण परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा अवधि तक सेवा ठप पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि चिकित्सालय में दो मशीन है, दोनों मशीन क्रियाशील नहीं हो पाये हैं। नयी मशीन का परफॉर्मेंस सही नहीं है। महानिदेशक को नई मशीन का मांग पत्र प्रेषित कर दिया गया है। रेडियोलाजिस्ट द्वारा मरीजों को परामर्श का कार्य प्रदान किया जा रहा है। मशीन उपलब्ध होने पर समस्त सेवायें प्रदान की जायेगी।

लेखापरीक्षा में उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। बाधित आवश्यक सेवा के त्वरित निवारण में विभाग गम्भीर नहीं थी तथा रेडियोलाजिस्ट द्वारा मशीन के अभाव में जन स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं कराकर शासकीय चिकित्सकीय सेवा प्रयोजन को लम्बी अवधि से प्रभावित किया गया। अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
03/2006-07	1	1	1,2
68/2008-09	1	-	-
127/2016-17	-	1,2,3	-
197-2017-18	-	1,2	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अध्यतन अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
03/2006-07	भाग-दो-अ-1 भाग-दो-ब-1 STAN-1,2	अप्रस्तुत	यथावत	
68/2008-09	भाग-दो-अ-1 भाग-दो-ब-0 STAN-0	अप्रस्तुत	यथावत	
127/2016-17	भाग-दो-अ-0 भाग-दो-ब-1,2,3 STAN-0	अप्रस्तुत	यथावत	
197-2017-18	भाग-दो-अ-0 भाग-दो-ब-1,2 STAN-1,2	अप्रस्तुत	यथावत	

इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या उच्चतर अधिकारी से संस्तुति उपरांत महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दिया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
01	डॉ0 मनोज बहुखंडी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	02/2018 से 1/2019 तक
02	डॉ0 अनिल कुमार सिंह नेगी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1/2019 से वर्तमान तक
03	डॉ0 एच सी गढकोटी	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	28.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (एएमजी-I), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-I